क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	९/७/२४	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी (अ.) अप्रार्थीगण बावजूद सम्यक तामील के हाजिर नहीं। अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। बहस वकील प्रार्थी की सुनी व पत्रावली का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार हैं एवं विवादित भूमि का विभाजन नहीं हुआ है। अतः वाद की बहुलता को ~~बनाए रोकने~~ एवं वाद की विषय वस्तु को बनाए रखने के लिए प्रा. पत्र के चरण सं. (7) में उल्लेखित ~~[illegible]~~ विवादित भूमि पर उभयपक्षों को ताफैसलावाद मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल/शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) उप... ...री चाकसू (...पुर)